

क्रमांक सं... 55  
प्रावली सं... 409  
दिनांक 25/02/2021

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital\_uta@yahoo.com

Telefax. 05942-236790

पत्रांक:- ५१६२ /१३- छिमीमटेला  
सेवा में,

दिनांक २३/२/२०२१

अधिशासी अभियंता,  
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०  
नैनीताल।

विषय :- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में नथुवाखान सुयालवाडी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुय तोला भुमियों देव मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.755 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० कोप्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/46634/2020)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० ४वी०/यू०पी०सी०/०६/११/२०२१/एफ०सी०/२३०० दिनांक 17.02.2021. एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० २२०० /FP/UK/ROAD/46607/2020 देहरादून, दिनांक 22-02-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

१- शर्त न० ३(क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.51 है० सिविल एवं सोयम ग्राम छीमीमटेला खसरा संख्या 1323 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम छीमीमटेला सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं हस्तानान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित किया जाना है।

शर्त न० ३(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वन विभाग के स्वामित्व से बाहर ऐसे क्षेत्र जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

~~१००००००११/३५६०~~ शर्त न० ३(ग) के अनुपालन में मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।

२- शर्त न० ४ के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रु० 1.755X 2= 3.51 है० X 3,37,184.00 = 11,83,516.00 (रु० ग्यारह लाख तिरासी हजार: पॉच सौ सोलह) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/३-५-२ दिनांक 21-11-2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।

३-शर्त न० ५(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रूपया 1.755 है० X 6,57,000=11,53,035.00 (रु० ग्यारह लाख तिरासी हजार पैतीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त न० ५(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

४-शर्त न० ९ के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

५-शर्त न० १० के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई०आरसी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

६-शर्त न० ११ के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

7—शर्त नं 12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

8—शर्त नं 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

9—शर्त नं 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

10—शर्त नं 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।

11—शर्त नं 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्द्धि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों का अनुपालन आख्यां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :— अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।